



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

देवगढ़ मास्टर प्लान

(2009—2032)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया जायेगा)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान जयपुर

योजना दल

श्री एच. एस. संचेती	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
श्री पी.के. पाण्डेय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (मई, 2010 तक)
श्री एन.के. खरे	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर
श्री आर.पी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर
श्री अरुण चतुर्वेदी	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री बी.एस. कानावत	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (जुलाई, 2010 तक)
श्री बी.डी. जाट	उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
श्री एस.के. श्रीमाली	उप नगर नियोजक (पी. आर.), उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री मोहम्मद अय्यूब	सहायक नगर नियोजक (मास्टर प्लान), मुख्यालय, जयपुर
श्री हंसानन्द	सहायक नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर (दिसम्बर, 08 तक)
श्री राजेश वर्मा	सहायक नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
श्री जगदीश कलवार	सहायक नगर नियोजक कार्यवाहक (मास्टर प्लान) मुख्यालय, जयपुर
श्री सी. के. गौतम	सहायक अभियन्ता, उदयपुर जोन, उदयपुर (जून, 2004 तक)
श्री बाबूलाल	अनुसंधान सहायक, उदयपुर जोन, उदयपुर

अनुसंधान शाखा :

श्री महेन्द्रसिंह परिहार	अनुसंधानकर्ता ग्रेड प्रथम, उदयपुर (अक्टूबर, 2009 तक)
श्री डी. सी. उपाध्याय	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, उदयपुर
श्रीमती आशा शर्मा	अनुसंधानकर्ता ग्रेड द्वितीय, मुख्यालय, जयपुर

मानचित्र शाखा :

श्री जगदीश नारायण राजोरिया	वरिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर (जुलाई, 2008 तक)
श्री मनमोहन कुमावत	वरिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर
श्री राजेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर
श्री अब्दुल हफीज	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर।
श्री विनोद सुखवाल	कनिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर जोन, उदयपुर

मंत्रालयिक शाखा :

श्री रविशंकर सचदेवा	निजी सहायक, उदयपुर जोन, उदयपुर
---------------------	--------------------------------

तालिका—सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, देवगढ़—1901—2009	8
2.	व्यावसायिक संरचना, देवगढ़—1991—2009	10
3.	विद्यमान भू—उपयोग, देवगढ़—2009	12
4.	सरकारी एवं अर्द्ध—सरकारी कार्यालय, देवगढ़—2009	16
5.	शैक्षणिक संरचना, देवगढ़—2009	18
6.	चिकित्सा सुविधाएँ, देवगढ़—2009	19
7.	जलापूर्ति वितरण देवगढ़—2009	21
8.	विद्युत कनेक्शनों का वितरण, देवगढ़—2009	22
9.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, देवगढ़ 1991—2032	31
10.	व्यावसायिक संरचना, देवगढ़—2032	32
11.	योजना क्षेत्र, देवगढ़—2032	34
12.	प्रस्तावित भू—उपयोग, देवगढ़—2032	39
13.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण, देवगढ़—2032	42
14.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, देवगढ़—2032	48
15.	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, देवगढ़—2032	52
16.	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, देवगढ़—2032	55

विषय-सूची

अध्याय क्रम	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
	योजना दल	(i)
	तालिका-सूची	(ii)
1.0	परिचय	1
2.0	विद्यमान विशेषताएं	4
2.1	भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	
2.3	ऐतिहासिक	
2.4	जनांकिकी	
2.5	व्यावसायिक संरचना	
2.6	विद्यमान भू-उपयोग	
2.6.1	आवासीय	
2.6.1 अ	आवासन	
2.6.1 ब	कच्ची बस्तियाँ	
2.6.2	वाणिज्यिक	
2.6.3	औद्योगिक	
2.6.4	राजकीय	
2.6.4 अ	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	
2.6.5	आमोद-प्रमोद	
2.6.5 अ	उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान एवं मेला स्थल	
2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	
2.6.6 अ	शैक्षणिक	
2.6.6 ब	चिकित्सा	
2.6.6 स	सामाजिक / सांस्कृतिक	

2.6.6	द	धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	
2.6.6	य	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	
2.6.6	र	जनोपयोगी सुविधाएं	
2.6.6	र(1)	जलापूर्ति	
2.6.6	र(2)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	
2.6.6	र(3)	विद्युत	
2.6.6	ल	श्मशान एवं कब्रिस्तान	
2.6.7		परिसंचरण	
2.6.7	अ	यातायात व्यवस्था	
2.6.7	ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	
2.6.7	स	रेल एवं हवाई सेवा	
3.0		नियोजन की संकल्पना	25
3.1		नियोजन की नीतियाँ	
3.2		नियोजन के सिद्धान्त	
4.0		भावी आकार	30
4.1		जनांकिकी	
4.2		व्यावसायिक संरचना	
4.3		नगरीय क्षेत्र	
4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	
4.5		योजना क्षेत्र	
	(अ)	परकोटा शहर योजना क्षेत्र	
	(ब)	करणी माता मंदिर योजना क्षेत्र	
	(स)	संग्राम सागर योजना क्षेत्र	
	(द)	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	

- 5.1 आवासीय
- 5.2 वाणिज्यिक
 - 5.2.1 शहरी केन्द्र (सी.सी.) एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां
 - 5.2.2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र
 - 5.2.3 विशिष्ट एवं थोक बाजार
 - 5.2.4 भण्डारण एवं गोदाम
- 5.3 औद्योगिक
- 5.4 राजकीय
 - 5.4.1 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय
- 5.5 आमोद प्रमोद
 - 5.5.1 उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान
 - 5.5.2 अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन
 - 5.5.3 मेला सुविधाएँ
- 5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक
 - 5.6.1 शैक्षणिक
 - 5.6.2 चिकित्सा
 - 5.6.3 सामाजिक/सांस्कृतिक सुविधाएँ
 - 5.6.4 धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल
 - 5.6.5 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ
 - 5.6.6 जनोपयोगी सुविधाएँ
 - 5.6.6 अ जलापूर्ति
 - 5.6.6 ब जल-मल व्यवस्था एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
 - 5.6.6 स विद्युत
 - 5.6.7 श्मशान एवं कब्रिस्तान
- 5.7 परिसंचरण
 - 5.7.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

- 5.7.1 अ सड़कों का मार्गाधिकार
 - 5.7.1 ब सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार
 - 5.7.1 स चौराहों का सुधार
 - 5.7.1 द पार्किंग व्यवस्था
 - 5.7.2 बस एवं ट्रक टर्मिनल
 - 5.7.3 रेल सेवा
 - 5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी
 - 5.9 वृक्षारोपण पट्टी
 - 6.0 मास्टर प्लान का कार्यान्वयन 58**
 - 6.1 वर्तमान आधार
 - 6.2 प्रस्तावित आधार
 - 6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग
 - 6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति
 - 6.5 उपसंहार
- परिशिष्ट— 1(अ) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण
- 1(ब) राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
- परिशिष्ट— 2(अ) राजकीय अधिसूचना दिनांक 27.3.1997
- 2(ब) राजकीय अधिसूचना दिनांक 7.3.2002
- 2(स) राजकीय अधिसूचना दिनांक 26.11.2009

परिचय

परिचय

देवगढ़ कस्बा अरावली की सुरम्य उपत्यकाओं एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से सुसज्जित क्षेत्र के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित कामली घाट चौराहे से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित है तथा राज्य राजमार्ग संख्या 56 एवं 61 इस कस्बे के मध्य से गुजरते हैं। यह जिला मुख्यालय राजसमंद से 70 किलोमीटर, उपखंड मुख्यालय भीम से 38 किलोमीटर तथा संभागीय मुख्यालय उदयपुर से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा मेवाड़, मारवाड़ तथा मेरवाड़ा क्षेत्रों की सीमाओं पर संग्राम सागर तालाब एवं राघव सागर के मध्य सर्व प्रथम मदारिया, द्वितीय चरण में मानपुरा एवं तृतीय चरण में देवगढ़ नाम से बसाया गया। देवगढ़ कस्बे की नींव रावत द्वारिकादास द्वारा विक्रम संवत् 1726 वैशाख शुक्ल पंचमी को रखी गई। इसके पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों द्वारा नगर के विकास में नये आयामों को जोड़ा गया। कालान्तर में नगर में तत्कालीन सुरक्षा प्रबन्धों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से कस्बे के चारों ओर परकोटे का निर्माण किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह मेवाड़ राज्य की प्रथम श्रेणी की जागीर थी, जिसमें देवगढ़ नगर तथा इसके चारों ओर के 181 गांव सम्मिलित थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस कस्बे को तहसील मुख्यालय का दर्जा दिया गया। कालान्तर में परकोटे के बाहर दक्षिण दिशा में रेलवे स्टेशन के निर्माण के फलस्वरूप शहर का बाह्य क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास प्रारम्भ हुआ, जिसमें बाजार, राजकीय कार्यालय, नगर पालिका, राजकीय विद्यालय, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन के समीप 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, डाक बंगला इत्यादि का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक विकास हुए जिसमें डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, टी.वी. टावर, आदि प्रमुख हैं। जलप्रदाय सुविधा हेतु पानी के ओवर हेड टैंक का निर्माण कर विभिन्न विकसित आवासीय योजनाओं में जल वितरण हेतु पाईप लाईनों को बिछाया गया।

इस कस्बे की सर्वप्रथम जनगणना 1901 में की गई जिसके अनुसार यहां की जनसंख्या 5, 384 थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात 1951 में बढ़कर 6,872 हो गई तथा 2001 की जनगणना के आधार पर यह बढ़कर 16,500 हो गई है। इस प्रकार वर्ष 1901 से 2001 के बीच लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। इस सम्पूर्ण अवधि में अधिकतम वृद्धि दर 1971-1981 में 46.84 प्रतिशत आंकी गई। इस वृद्धि का मूल कारण नगर पालिका सीमा क्षेत्र का विस्तार था। शेष दशकों में जनसंख्या में केवल प्राकृतिक वृद्धि ही हुई।

कस्बे का विस्तार शहरी परकोटे के अन्दर सघन रूप में होता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात परकोटे के बाह्य क्षेत्रों में द्रुत गति से विकास होना प्रारम्भ हो गया, फिर भी परकोटे के आन्तरिक भाग में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है एवं अव्यवस्थित विकास हो रहा है, जिससे कस्बे में आवासीय मकानों की संकुलता, तंग सड़कों पर बढ़ता निरन्तर यातायात, अवरुद्ध जंक्शन, पार्किंग स्थलों की कमी, अनियोजित एवं मिश्रित वाणिज्यिक स्थल, अपर्याप्त सामुदायिक सुविधाएँ, यहां तक कि आधारभूत सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव जैसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं। नगर में गंदे पानी की निकासी एवं जलप्रवाह को नियोजित करने, जलाशयों को रक्षित करने तथा आम जनता के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत संरचना और अन्य नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाये। इन सुविधाओं के सुनियोजित क्रमिक विकास के निर्धारण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये कस्बे का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 26.11.2009 को अधिसूचना जारी कर देवगढ़ सहित सात राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए देवगढ़ का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया। नगर नियोजन विभाग द्वारा देवगढ़ कस्बे का भौतिक तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा द्वितीय स्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ संकलित कर मानचित्रों और विस्तृत आलेखों का रूप प्रदान किया गया, जो इस मास्टर प्लान के लिए आधार बना एवं

तदनुरूप देवगढ़ के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना क्षितिज वर्ष 2032 तक विभिन्न नगरीय विकास कार्यों के संबंध में आधारभूत आवश्यकताओं का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है। इस योजना प्रारूप में नगर मानचित्र, विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र 2009, प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र-2032 तथा अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र योजना मानचित्र सम्मिलित किये गये हैं।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिवस की समयावधि में आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप दिनांक 29-3-2010 को प्रकाशित किया गया एवं नगरपालिका देवगढ़ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मास्टर प्लान के प्रारूप पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप की प्रतियां सम्बन्धित विभागों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों को भी आपत्ति/सुझावों के लिए भेजी गई।

देवगढ़ के मास्टर प्लान के प्रारूप पर कुल 47 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 98 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन एवं मौका निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 17 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 21 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 20 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य एवं 40 आपत्ति/सुझावों में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार देवगढ़ मास्टर प्लान एवं भू-उपयोग योजना मानचित्र में स्वीकृत आपत्ति/सुझावों के मद्देनजर आंशिक परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

ह.
(एन. के. खरे)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व)
राजस्थान सरकार, जयपुर

विद्यमान विशेषताएँ

विद्यमान विशेषताएं

देवगढ़ कस्बा दक्षिणी राजस्थान में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के मध्य मेवाड़, मारवाड़ एवं मेरवाड़ा क्षेत्र की सीमाओं पर 73°55' पूर्वी देशान्तर एवं 25°32' उत्तरी अक्षांश पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित कामलीघाट चौराहे से 3 किलोमीटर दूरी पर पूर्व की ओर भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित है तथा राज्य राजमार्ग संख्या 56 एवं 61 इस कस्बे के मध्य से गुजरते हैं। यह कस्बा उत्तर में ब्यावर, पूर्व में भीलवाड़ा, पश्चिम में पाली, तथा दक्षिण में जिला मुख्यालय राजसमंद से सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। उदयपुर—मारवाड़ जंक्शन मीटर गेज रेलवे लाईन भी देवगढ़ से होकर गुजरती है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :

देवगढ़ कस्बा छोटी पहाड़ियों, घाटियों व जलाशयों के मध्य समतल भू-भाग पर स्थित है, कस्बे की प्राचीन परकोटे के पूर्व दिशा में राघव सागर व जसवंत सागर स्थित है। इसके आस पास का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है। पश्चिमी भाग में संग्राम सागर स्थित है।

कस्बे के धरातल का ढाल दक्षिण—पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कस्बे में खारी नदी दक्षिण—पश्चिम से उत्तर—पूर्व की ओर बहती है। राघव सागर में जल आवक क्षेत्र दक्षिणी भाग से है।

यहां की जलवायु सम—शीतोष्ण होने के कारण स्वास्थ्यवर्द्धक है। गर्मियों में यहां का अधिकतम तापमान 45° सेल्सियस व सर्दियों में न्यूनतम तापमान 1.8° सेल्सियस रहता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां गर्मी के मौसम में काफी गर्मी रहती है तथा इस मौसम में चलने वाली शुष्क हवाओं की वजह से मौसम असहनीय हो जाता है। यह

शुष्क तापक्रम कभी-कभी 45⁰ सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। जून माह में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से तापमान में काफी कमी आ जाती है, किन्तु सितम्बर के मध्य तक मानसून की विदाई के पश्चात पुनः तापमान शनैःशनैः बढ़ने लगता है।

केवल दक्षिणी-पश्चिमी मानसून अवधि में हवा में आर्द्रता 70 प्रतिशत या अधिक रहती है। शेष अवधि में हवा सामान्यतः शुष्क रहती है। गर्मी के मौसम में आर्द्रता 20 प्रतिशत या इससे भी कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में हवाएँ दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर चलती है किन्तु सर्दी के मौसम में यहां उत्तर-पूर्वी हवाएँ चलती है।

कस्बे की औसत वार्षिक वर्षा 652.5 मिलीमीटर है। यहां वर्ष भर की कुल 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य में हो जाती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :

देवगढ़ कस्बे के उत्तर में उपखंड मुख्यालय भीम तथा दक्षिण में जिला मुख्यालय राजसमंद है। पूर्व में भीलवाड़ा जिला तथा उत्तर-पश्चिम में पाली जिला है। देवगढ़ तहसील का क्षेत्रफल 589 वर्ग किलोमीटर है। इस कस्बे के निकटतम आमेट कस्बा है, जो वाणिज्य एवं व्यापार की दृष्टि से उन्नत कस्बा है।

इस पृष्ठक्षेत्र के लिए यह कस्बा एक सेवा केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसमें कृषि उपजों का एकत्रीकरण एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रमुख है।

इस क्षेत्र की मुख्य जलधारा खारी नदी है, जो देवगढ़ कस्बे के उत्तर की ओर बहती है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र सम्पन्न है। इस क्षेत्र के आसपास एस्बेस्टॉस, सोप स्टोन, मार्बल, लाईम स्टोन, ग्रेनाईट आदि पाये जाते हैं। इस तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के दोनों ओर एस्बेस्टॉस एवं सोप स्टोन पाउडर, तथा मार्बल की अनेक औद्योगिक इकाईयां विकसित हो रही है।

2.3 ऐतिहासिक :

आजादी से पूर्व यह कस्बा देवगढ़ जागीर की राजधानी था, जो मेवाड घराने के सिसोदिया राजवंश के चुण्डावत रावत शासकों द्वारा शासित होता रहा है। रावत द्वारिकादास द्वारा वि.स. 1726 (सन् 1669) में वैशाख शुक्ल पंचमी शनिवार को देवगढ़ कस्बे की नींव रखी गई थी। इससे पूर्व यहां मदारिया तथा दूसरी बार मानपुरा नाम से भी आबादी बसाई गई थी। रावत द्वारिकादास के पश्चात् रावत राघवदास द्वारा सुप्रसिद्ध राघवसागर तालाब तथा कुछ महल एवं उनकी चारदीवारी निर्मित करवायी गयी। यहां के शासक संग्रामसिंह द्वितीय ने सन् 1706-1737 के मध्य करणीमाता का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। सन् 1786 से 1821 के अपने शासनकाल में रावत गोकुलदास द्वितीय द्वारा नगर के चारों ओर 20 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की विशाल शहरकोट निर्मित करवा कर उसके बाहरी ओर गहरी खाई बनवाई गई। इस शहरकोट में चार विशाल दरवाजे हैं जो सूरज दरवाजा, सोलंकी दरवाजा, मारू दरवाजा तथा गूजरी दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। चार दिवारी में एक छोटा दरवाजा जिसे वेदबारी कहते हैं, भी रखा गया था। करणगढ़, गोकुलगढ़, जलबुर्ज तथा देवडूंगरी नामक चार छोटे गढ़ बुर्ज भी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में निर्मित करवाये गये। राघव सागर के किनारे गोकुल विलास उद्यान तथा उसमें एक सुन्दर अतिथिगृह भी निर्मित किया गया था। रावत नाहर सिंह द्वारा कुंजबिहारी जी का मंदिर तथा कई हवेलियां निर्मित करवाई गई थी। यहां का महल कस्बे के बीच ऊंचाई पर स्थित है। यह महल विशाल परकोटों तथा बुर्जों से घिरा हुआ है। आज भी पुराना परकोटा व बुर्ज मौजूद हैं। राजमहल में प्रवेश के लिए दो विशाल द्वार बने हुए हैं। महल में बने गाड़ीखाना, बग्घीखाना, रथखाना, तोपखाना, बछरा की पायगा, घोड़ों की पायगा व हाथी के तीन विशाल ठाण दर्शनीय हैं। राजमहल चार मंजिला है, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिल शीशमहल के नाम से जानी जाती है। इस महल में नवरत्नों से युक्त नक्काशी का कार्य किया हुआ है।

यहां के शासक रावत विजयसिंह द्वारा सन् 1922 में एक पाठशाला, औषधालय तथा न्यायालय का निर्माण करवाया गया। उन्हीं के शासनकाल में 1932 में एक पुलिस

थाना स्थापित किया गया तथा इसी दौरान आमेट से देवगढ़ को जोड़ते हुए कामलीघाट तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। सन् 1938 में रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला निर्मित करवाई गई। रावत संग्राम सिंह द्वारा सन् 1944 में एक कन्या प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया, जो 1955 में माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया जिसे बाद में सूरज दरवाजे के बाहर नये भवन में स्थानान्तरित किया गया। सन् 1960 में रेलवे स्टेशन से शहर को मिलाने हेतु पक्का रोड़ बनाया गया। सन् 1957 में खादी ग्रामोद्योग विकास मण्डल स्थापित किया गया जो बाद में करणगढ़ में नये भवन में स्थानान्तरित किया गया। तहसील व पुलिस थाने के नये भवन 1960 में बनाये गये। 1961 में विकास अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया गया। कामलीघाट रोड़ पर कृषि उपज मंडी स्थापित की गयी। नगरपालिका द्वारा पिछले वर्षों में शास्त्री नगर, शक्ति नगर, लक्ष्मीनगर आदि आवासीय योजनाएं परकोटे के बाहरी क्षेत्रों में विकसित की गई तथा केन्द्र प्रवर्तित आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत बस स्टेण्ड का निर्माण करवाया गया है।

2.4 जनांकिकी :

देवगढ़ कस्बे की सही जनसंख्या 1901 से उपलब्ध हो पाई है। वर्ष 1901 में कस्बे की जनसंख्या 5,384 रिकार्ड की गई। 1971 तक के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम रही। 1971 के बाद कस्बे की आबादी धीरे-धीरे बढ़ती रही है।

वर्ष 1981 में कस्बे की जनसंख्या 12,831 हो गई एवं वृद्धि दर 46.84 प्रतिशत रही। वर्ष 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही जिसका मुख्य कारण कामलीघाट स्टेशन व ग्राम चारणिया आदि आबादी क्षेत्र का सितम्बर 1976 में नगर पालिका सीमा में सम्मिलित होना है। 1991 में कस्बे की आबादी 13,933 दर्ज की गई, जो 2001 में बढ़कर 16,500 हो गई। इस प्रकार 1981-91 के दशक में वृद्धि दर 8.59 एवं 1991-2001 के मध्य 18.42 प्रतिशत रही है। जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम अंकित होने का प्रमुख कारण यहां के व्यक्तियों का देश के विभिन्न नगरों तथा क्षेत्रों में व्यापार हेतु प्रवास पर होना है। सन् 1901 के मुकाबले सन् 2009 में जनसंख्या लगभग

चार गुना हो गई है। देवगढ़ की जनसंख्या वृद्धि-प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है :

तालिका-1
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, देवगढ़ 1901-2009

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धिदर (प्रतिशत)
1	1901	5384	—	—
2	1911	5461	+ 77	+ 1.43
3	1921	4, 885	— 576	— 10.55
4	1931	5, 082	+ 197	+ 4.03
5	1941	5, 742	+ 660	+ 12.99
6	1951	6, 872	+ 1, 130	+ 19.68
7	1961	8, 032	+ 1, 160	+ 16.88
8	1971	8, 738	+ 706	+ 8.79
9	1981	12, 831	+ 4, 093	+ 46.84
10	1991	13, 933	+ 1, 102	+ 8.59
11	2001	16, 500	+ 2567	+ 18.42
12	2009*	20, 200	+ 3700	+ 22.42

*नगर नियोजन विभाग द्वारा अनुमानित।

स्रोत : भारत की जनगणना एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान

2.5 व्यावसायिक संरचना :

1991 की जनगणना के अनुसार देवगढ़ कस्बे में कार्यरत व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 28.25 प्रतिशत था जो वर्ष 2001 में बढ़कर 29.25 हो गया तथा अनुमान है कि यह वर्ष 2009 में बढ़कर 30.00 प्रतिशत हो गया है। तालिका-2 के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में केवल मात्र कृषि, व्यापार व वाणिज्य तथा अन्य सेवाओं में ही कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता अधिक रही है। इसका कारण स्पष्ट है कि देवगढ़ कस्बा जिले का एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र है तथा इसका आर्थिक आधार भी व्यापार व वाणिज्य ही है। तालिका-2 से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2009 में देवगढ़ में अन्य सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल कार्यरत व्यक्तियों का 28.00 प्रतिशत है। देवगढ़ के विकास में अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापों का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता। औद्योगिक सेक्टर में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1991 में 628 थी, वहीं 2009 में बढ़कर 970 हो गई, जो मुख्य कार्यरत व्यक्तियों का 16.00 प्रतिशत है जो कि निर्माण कार्य, यातायात व परिवहन के क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या से अधिक है। तालिका-2 में वर्ष 1991 से वर्ष 2009 की व्यावसायिक संरचना दर्शायी गई है—

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, देवगढ़ 1991-2009

क्र. सं.	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 1991		वर्ष 2001		वर्ष 2009*	
		कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि, एवं खनन सम्बन्धित क्रियायें	1,094	27.80	1062	22.00	1212	20.00
2	उद्योग	628	15.96	772	16.00	970	16.00
3	निर्माण कार्य	177	4.50	290	6.00	364	6.00
4	व्यापार एवं वाणिज्य	807	20.50	1062	22.00	1332	22.00
5	परिवहन एवं संचार	335	8.52	386	8.00	485	8.00
6	अन्य सेवायें	894	22.72	1255	26.00	1697	28.00
7	योग	3,935	100.00	4826	100	6060	100
	सहभागिता अनुपात		28.25		29.25		30.00

*अनुमानित स्रोत-भारत की जनगणना एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान

2.6 विद्यमान भू-उपयोग :

देवगढ़ नगर पालिका का क्षेत्र 5930 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें से 545 एकड़ नगरीयकृत है। शेष भू-भाग के अन्तर्गत पहाड़ियाँ, जलाशय, बंजर भूमि, ग्रामीण आबादी, बागान, खेत एवं कृषि भूमि है।

देवगढ़ कस्बे का विकास अनियोजित एवं छितराये रूप में हुआ है। नगर पालिका द्वारा विकसित कालोनियों को छोड़कर अधिकांश विकास अनियोजित है। पुराना कस्बा उच्च घनत्व वाला, अव्यवस्थित एवं तंग गलियों के रूप में बसा हुआ है जहां खुले स्थलों का अभाव है। बाहरी क्षेत्र कम जन घनत्व वाला है। वाणिज्यिक गतिविधियां

मुख्य सड़कों एवं गलियों के सहारे संचालित है। जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं है। कस्बे में आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास हो रहा है लेकिन वांछित योजना मानदंडों के अनुपात में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार नहीं होने के फलस्वरूप ये सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। कस्बे में नालियां खुली एवं अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु का पानी प्रायः सड़कों पर एकत्रित हो जाता है। परिसंचरण व्यवस्था भी बहुत अव्यवस्थित है तथा पुराने कस्बे में आवागमन तथा यातायात के लिए वांछित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार उपलब्ध न होकर आड़ी-तिरछी तंग गलियां ही उपलब्ध हैं।

उपरोक्त वर्णित नगरीय क्षेत्र में से केवल मात्र 367 एकड़ भूमि ही वास्तविक रूप में विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है, शेष भूमि तालाब, कृषि भूमि, नर्सरी एवं रिक्त भूमि के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान में कस्बे के कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 40.33 प्रतिशत आवासीय व 6.72 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है। तहसील मुख्यालय के कारण सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत भू-उपयोग क्रमशः 1.09 प्रतिशत और 13.90 प्रतिशत है। नगर में घरेलू औद्योगिक इकाइयों एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना से कुल विकसित क्षेत्र का 2.72 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग हो रहा है। नगर का विकास परकोटे के अन्दर सघन रूप में होने एवं सड़कों के कम चौड़ी तथा संकड़ी यातायात व्यवस्था के कारण परिसंचरण में मात्र 26.05 प्रतिशत ही भूमि का उपयोग हो रहा है। तालिका-3 में विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2009 दर्शाया गया है :-

तालिका-3
विद्यमान भू-उपयोग, देवगढ़ - 2009

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	148.00	40.33	27.16
2	वाणिज्यिक	24.68	6.72	4.53
3	औद्योगिक	10.00	2.72	1.83
4	राजकीय	4.00	1.09	0.73
5	आमोद-प्रमोद	33.72	9.19	6.19
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	51.00	13.90	9.36
7	परिसंचरण	95.60	26.05	17.54
	कुल विकसित क्षेत्र	367.00	100.00	67.34
8	जलाशय, नदी नाले एवं तालाब	90.60	—	16.62
9	कृषि एवं रिक्त भूमि	87.40	—	16.04
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	545.00	—	100.00

स्रोत : नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय :

सन् 1991 की जनगणनानुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 13,933 थी, जिसमें कुल परिवारों की संख्या 2766 थी। यह जनसंख्या 2009 में बढ़कर 20,200 हो गई है। वर्तमान समय में कुल विकसित क्षेत्र 367 एकड़ है, जिसमें से 148 एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 40.33 प्रतिशत है। कस्बे का कुल औसत घनत्व 55 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा सकल औसत आवासीय घनत्व 136 व्यक्ति प्रति एकड़ है। कस्बे की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 14,140 जनसंख्या परकोटे के अन्दर अधिवास कर रही है। यह नगर का सघन आवासीय क्षेत्र है। अधिकतर आवास दो या तीन मंजिल के हैं। इस कस्बे के अधिकतर वयस्क व्यक्ति रोजगार हेतु बाहर व्यवसाय व नौकरी पर हैं। परिवारों में स्त्रियाँ, वृद्ध एवं बालकों की संख्या अधिक है, जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बाह्य क्षेत्रों में अधिवास करना कम पसंद करते हैं। परकोटे के आन्तरिक भाग में अब कोई रिक्त भूमि नहीं होने के कारण परकोटे से बाहरी क्षेत्र में विकास अब शनैः शनैः हो रहा है।

वर्तमान समय में परकोटे के बाहर आमेट सड़क पर नये आवासीय क्षेत्रों का विकास हो रहा है। विद्यमान बस स्टेण्ड के आसपास का भाग भी विकसित हो रहा है।

2.6.1 अ. आवासन :

देवगढ़ कस्बे में पुराने शहर में मकान पक्के बने हुये हैं, जिनमें से अधिकतर दो मंजिल के बने हैं। बाजार एवं इसके आस पास के मकान तीन अथवा चार मंजिल के बने हुये हैं। पुराने शहर के बाजारों के मकानों में भूतल व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जा रहे हैं। सदर बाजार कस्बे का प्रमुख बाजार है। कस्बे के मुख्य चौक माणक चौक, कुंज बिहारी जी का चौक, राई का चौक, रामद्वारा चौक आदि हैं। शहर में नई आवासीय कालोनियाँ बापू नगर, शास्त्रीनगर, लक्ष्मी नगर, शक्ति नगर, इत्यादि हैं, जहां अधिकतर एक मंजिल के मकान बने हुये हैं।

2.6.1 ब कच्ची बस्तियाँ :

देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में मांडावाड़ा रोड़ पर रातड़िया का चौड़ा नामी चारागाह भूमि पर एक ही कच्ची बस्ती बसी हुई है। जिसमें 21 परिवार रहते हैं। इसमें आवास करने वाले व्यक्ति अधिकतर गरीब एवं श्रमिक वर्ग के हैं। अतः इस बस्ती को सुनियोजित रूप में विकसित करने की कार्यवाही अपेक्षित है, जिससे इनको सभी सुविधाएँ भी प्राप्त हो सके तथा पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जा सके।

2.6.2 वाणिज्यिक :

देवगढ़ कस्बा तहसील मुख्यालय होने के कारण व्यवसाय का एक मुख्य केन्द्र बना हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् व्यवस्थित आर्थिक विकास के कारण वाणिज्यिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित होने लगी। वर्ष 2001 में व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 1062 व्यक्ति कार्यरत थे जो वर्ष 2009 में बढ़कर 1332 हो गये।

परकोटे के आन्तरिक भाग में स्थित सदर बाजार यहां का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र है। यहां पर थोक एवं फुटकर व्यापार एवं व्यवसाय होता है, जो कि सूरजपोल से मारू दरवाजे तक के मार्ग के दोनों ओर अवस्थित है। इस मार्ग की चौड़ाई 10 से 20 फीट ही है, जो वाहन इत्यादि के आवागमन के लिए पर्याप्त नहीं है। परकोटे के बाह्य क्षेत्र में बस स्टेण्ड के पास भी बाजार विकसित हो रहा है तथा वर्तमान में मारू दरवाजे के बाहर नवीन बाजार विकसित हो रहे हैं। कामलीघाट जाने वाले मार्ग पर 12 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी स्थापित है, किन्तु वर्तमान समय में वहां कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं।

वर्तमान में कस्बे में कुल विकसित क्षेत्र की 24.68 एकड़ भूमि वाणिज्यिक उपयोग में ली जा रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.72 प्रतिशत है।

2.6.3 औद्योगिक :

औद्योगिक दृष्टि से कस्बे में विशेष विकास नहीं हुआ है। वर्तमान में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की जा रही हैं। देवगढ़ में लघु उद्योग श्रेणी की कुल 44 औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत हैं। इनमें मुख्यतः सीमेण्ट पाईप, एस्बेस्टॉस एवं सोप स्टोन पाउडर, स्टोन कटिंग एवं पालिशिंग की है। ये इकाईयाँ कामलीघाट चौराहे, औद्योगिक क्षेत्र, आमेट रोड़ तथा भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित है। भीलवाड़ा रोड़ पर खादी ग्रामोद्योग स्थित है। इसके अतिरिक्त देवगढ़ की औद्योगिक संरचना में अनेक गृह उद्योग जैसे आटा चक्की, सुनारी कार्य, मरम्मत वर्कशाप आदि कार्यरत है। कस्बे में लघु एवं गृह उद्योग सेवाओं में श्रमिकों की संख्या वर्ष 2009 में 970 है।

वर्तमान समय में औद्योगिक उपयोग में 10 एकड़ भूमि ही है, जो कुल विकसित क्षेत्र की 2.72 प्रतिशत है।

2.6.4 राजकीय :

2.6.4 अ सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय :

तहसील मुख्यालय होने के कारण राजकीय एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों ने कस्बे के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 2009 में नगर नियोजन विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देवगढ़ कस्बे में 4 केन्द्र सरकार के, 13 राज्य सरकार के एवं 4 अर्द्ध-सरकारी कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें कुल 352 कर्मचारी नियोजित हैं। केन्द्रीय कार्यालयों में रेलवे स्टेशन, डाक एवं तारघर, टेलिफोन एक्सचेंज इत्यादि हैं। वर्तमान में इन कार्यालयों में से अधिकांशतः राजकीय भवनों में कार्यरत है। ये कार्यालय अधिकांशतः आमेट रोड़ पर स्थित है। वर्तमान में कुल 4 एकड़ भू-भाग राजकीय कार्यालयों के उपयोग में हो रहा है, यह कुल विकसित क्षेत्र का 1.09 प्रतिशत

है। तालिका-4 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय व कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है :-

तालिका-4
सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, देवगढ़-2009

क्र. सं.	कार्यालय	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार के कार्यालय	4	20
2	राज्य सरकार के कार्यालय	13	248
3	अर्द्ध - सरकारी कार्यालय	4	84
	योग	21	352

स्रोत : नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

2.6.5 आमोद-प्रमोद :

2.6.5 अ उद्यान, खुले स्थल, खेल के मैदान एवं मेला स्थल :

देवगढ़ कस्बे में मुख्यतः 26 एकड़ भूमि का एक ही खुला स्थल है, जो करणीमाता मंदिर के पास स्थित है। यह स्थल मेला मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध वार्षिक पशु मेला हिन्दी मास की आश्विन शुक्ला पंचमी से त्रयोदशी तक, दशहरे के दौरान आयोजित होता है। इस पशु मेले में 15 हजार से 20 हजार तक विभिन्न प्रजाति के पशु मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ व मालवा आदि क्षेत्रों से क्रय-विक्रय हेतु आते हैं। जिनमें प्रमुख रूप से गाय, बैल, बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़े इत्यादि है। इसी

मैदान का उपयोग समारोह आयोजन स्थल के रूप में भी किया जाता है। वर्तमान समय में नगर में उद्यानों का अभाव है। परकोटे के भीतरी भाग में खुले स्थल एवं उद्यानों का नितान्त अभाव है एवं समस्त भाग आवासीय रूप में सघनता से विकसित है।

सीनियर सैकण्डरी स्कूल के छात्रों द्वारा भी मेला स्थल का ही उपयोग खेल मैदान के रूप में किया जाता है। आवासीय योजनाओं में अभी कोई पार्क विकसित नहीं हुए हैं। कस्बे में जागीरदारों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी कृषि भूमि में बाग विकसित किये गये हैं, उनमें से मुख्यतः राघवसागर की पाल पर विकसित है, जो पूर्व राजघराने की निजी सम्पत्ति है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक :

इस भू-उपयोग के अन्तर्गत वर्ष 2009 में 51 एकड़ भूमि है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 13.90 प्रतिशत है।

2.6.6 अ. शैक्षणिक :

नगर नियोजन विभाग के सर्वेक्षण वर्ष 2009 के अनुसार नगर में 10 प्राथमिक, 11 उच्च प्राथमिक तथा 4 सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं, इनमें कुल 3646 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लगभग सभी विद्यालयों में खेल मैदान व खुले स्थलों का अभाव है। ये शिक्षण संस्थाएँ नगर के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को भी शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। तालिका-5 में विद्यालय स्तर की शैक्षणिक संरचना को दर्शाया गया है :-

तालिका-5
शैक्षणिक संरचना, देवगढ़-2009

क्र. सं.	स्कूल का स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य बालक/ बालिकाओं की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत बालक/ बालिकाओं की संख्या	विद्यालयों में पंजीकृत बालक/ बालिकाओं का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-10	2400	1810	75.41	10	181
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	1800	984	54.66	11	89
3	सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय (9-12)	14-17	1800	852	47.33	4	213
	योग		6000	3646	60.76	25	146

स्रोत : नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

2.6.6 ब. चिकित्सा :

देवगढ़ कस्बे में एक रेफरल हॉस्पिटल है, जो करणीमाता मंदिर के पास स्थित है। इसमें 50 शैय्याओं की व्यवस्था है, जिसका क्षेत्रफल 6 एकड़ है तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है जिसमें 5 शैय्याओं की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नगर में 4 निजी अस्पताल/क्लिनिक भी कार्यरत हैं। इसके अलावा कस्बे में एक पशु चिकित्सालय की सुविधा भी उपलब्ध है जो मैला मैदान के समीप स्थित है। जिसमें

कस्बे की जनसंख्या और आसपास के क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं। नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण दशहरा मेला मैदान के पास किया गया है। वर्ष 2009 में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को तालिका-6 में दर्शाया गया है :-

तालिका-6
चिकित्सा सुविधाएँ, देवगढ़-2009

क्र. सं.	वर्ग	राजकीय चिकित्सालय		निजी औषधालय / चिकित्सालय	
		संख्या	शैय्याएँ	संख्या	शैय्याएँ
1	एलोपैथिक	1	50	3	—
2	आयुर्वेदिक	1	5	—	—
3	अन्य चिकित्सालय	—	—	1	—

स्रोत: नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

2.6.6 स. सामाजिक / सांस्कृतिक :

देवगढ़ कस्बे में सामाजिक / सांस्कृतिक स्थल के रूप में मेला मैदान उपयोग में लिया जाता है, जिसमें समय-समय पर त्यौहारों एवं अन्य पर्वों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके पास ही स्थित ब्रह्मचर्य आश्रम भी इस हेतु उपयोग में लिया जाता है।

2.6.6 द. धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल :

कस्बे में मेला मैदान के पास करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ नवरात्रि में विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम किये जाते हैं। इस मंदिर को सन् 1706-1737 में

संग्रामसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया। इसके पास ही मुस्लिम समुदाय का सुन्दर मकबरा स्थित है।

देवगढ़ कस्बे का राजमहल ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है, यह पुराने कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। इस विशाल ऐतिहासिक महल के आधे से अधिक भाग को होटल के रूप में विकसित किया जा चुका है। यह राजमहल चार मंजिला है।

इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक धरोहर में यहां राघव सागर के पूर्व में स्थित महासतियाँ स्थान भी प्रमुख है, जहां देवगढ़ के शासकों की प्रमुख छतरियाँ बनी हुई हैं। शहर में छोटे-छोटे अनेक देवी-देवताओं के मंदिर तथा धार्मिक स्थल भी स्थित हैं।

2.6.6 य. अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

देवगढ़ कस्बे में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा उदयपुर अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक स्थित है। यहां स्थित टेलीफोन एक्सचेंज कस्बे एवं आसपास के क्षेत्र में दूरभाष सुविधा प्रदान करता है। मुख्य डाकघर एवं तारघर नगर पालिका के सामने स्थित है। उप डाकघर मुख्य बाजार में कार्यरत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित विश्राम गृह पंचायत समिति के पास स्थित है। कस्बे में ठहरने हेतु तीन धर्मशालाओं की भी व्यवस्था है, जो नगरपालिका की निजी सम्पत्ति है, ये क्रमशः रेलवे स्टेशन के समीप, सूरजपोल दरवाजे के पास तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित है। कानून एवं व्यवस्था तथा जन सुरक्षा हेतु एक पुलिस थाना कस्बे में नगर पालिका कार्यालय के समीप स्थित है।

2.6.6 र. जनोपयोगी सुविधाएँ :

2.6.6 र. (1) जलापूर्ति :

कस्बे में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत बांध, कुएँ व भूमिगत जल है। पेयजल आपूर्ति की कुल क्षमता 1.25 लाख गैलन प्रतिदिन है जबकि

आवश्यकता 4.5 लाख गैलन है। घरेलू उपयोग की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण आपूर्ति का अधिकांश भाग घरेलू उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में कस्बे में विभिन्न इलाकों में हैण्ड पंप भी लगे हुए हैं। वर्ष 2009 में जल आपूर्ति का वितरण तालिका-7 में दर्शाया गया है:

तालिका-7
जलापूर्ति वितरण, देवगढ़-2009

क्र.स.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1	घरेलू	2,581	92.88
2	वाणिज्यिक	62	2.23
3	औद्योगिक	10	0.36
4	पी.एस.पी.	66	2.37
5	राजकीय	60	2.16
	योग	2,779	100.00

स्रोत : जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.6.6 र. (2) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन :

देवगढ़ कस्बे में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण गन्दा पानी का निस्तारण विद्यमान खुली नालियों द्वारा ही होता है। सैप्टिक टैंक व सॉकपिट गृह मालिकों द्वारा बहुत कम मात्रा में तैयार करवाये गये हैं। अतः नगर की खुली नालियों में जल मल निकासी की व्यवस्था है इससे वातावरण दूषित होने के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। खुली नालियों द्वारा बहाकर ले जाया गया गन्दा पानी एवं मलबा तालाबों में पहुंचता है, जिससे तालाबों का पानी प्रदूषित होता है। इस व्यवस्था के कारण संग्राम सागर का पानी भी गन्दा रहता है।

2.6.6 र. (3) विद्युत :

कस्बे में विद्युत रख-रखाव और विद्युत वितरण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति आर.ए.पी.पी. कोटा से ग्रिड सब स्टेशन 132 के.वी. कामलीघाट, देवगढ़ द्वारा प्राप्त होती है। 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित है। कस्बे में लगभग 76 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन है, जिनकी संख्या 2443 है। वर्ष 2009 में विभिन्न उपयोगों में कनेक्शनों की स्थिति को तालिका-8 में दर्शाया गया है :

तालिका-8

विद्युत कनेक्शनों का वितरण, देवगढ़-2009

क्र.स.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1	घरेलू	2,443	75.59
2	वाणिज्यिक	517	16.00
3	छोटे पैमाने के उद्योग	50	1.55
4	मिश्रित भार	15	0.46
5	कृषि	172	5.32
6	सड़क रोशनी	9	0.28
7	जलदाय विभाग	12	0.37
8	एम.आई.पी.	14	0.43
	योग	3,232	100.00

स्रोत : अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

2.6.6 ल. श्मशान एवं कब्रिस्तान :

देवगढ़ कस्बे में चार श्मशान हैं, जो क्रमशः राघव सागर तालाब के पूर्व में महासतिया क्षेत्र में, संग्राम सागर के उत्तर-पश्चिम में तथा खारी नदी एवं छोटी नदी के समीप स्थित हैं। इसके अलावा कस्बे में दो कब्रिस्तान हैं, जिसमें पहला जसवन्त सागर के समीप तथा दूसरा मेला मेदान के पास स्थित है।

2.6.7 परिसंचरण :

2.6.7 अ. यातायात व्यवस्था :

देवगढ़ कस्बा उदयपुर, ब्यावर, आमेट, भीलवाड़ा तथा पाली शहरों को मिलाने वाले संगम (कामलीघाट चौराहे) से तीन किलोमीटर दूर भीलवाड़ा रोड़ पर स्थित है। देवगढ़ कस्बे से दो राज्य राजमार्ग गुजर रहे हैं। राज्य राजमार्ग संख्या 56 आमेट से भीम को जोड़ता है तथा राज्य राजमार्ग संख्या 61 मारवाड़ जंक्शन से भीलवाड़ा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 से गुजरने वाली लगभग सभी बसें देवगढ़ कस्बे से होकर गुजरती हैं। कामलीघाट चौराहे से भीलवाड़ा एवं आमेट जाने वाला यातायात कस्बे के मध्य से गुजरता है। कस्बे का बस स्टेण्ड नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित है। देवगढ़ में ट्रकों की संख्या कम है, परन्तु आमेट एवं भीलवाड़ा जाने वाली ट्रकों के कारण मुख्य चौराहे पर यातायात अधिक रहता है एवं ट्रकों को मुख्य मार्ग पर ही खड़ा कर दिया जाता है। पुरानी आबादी क्षेत्र में कोई निश्चित यातायात व्यवस्था नहीं है। पुरानी आबादी की तुलना में नये विकसित आबादी क्षेत्रों में सड़कें अपेक्षाकृत अच्छे स्तर की हैं। पुराने आबादी क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई 10 से 20 फिट के बीच है। कस्बे में वर्ष 2009 में सड़कों व परिवहन सुविधाओं के अन्तर्गत 95.60 एकड़ भूमि हैं, जो कुल विकसित क्षेत्र का 26.05 प्रतिशत भाग है।

2.6.7 ब. बस तथा ट्रक टर्मिनल :

कस्बे में रोड़वेज बस स्टेण्ड संग्राम सागर की पूर्व दिशा में तथा प्राईवेट बसों का बस स्टेण्ड भीलवाड़ा रोड़ एवं राघव सागर के मध्य स्थित है। जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों का परिसंचलन होता है। यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से बहुत ही सघन क्षेत्र है। कस्बे में ट्रक स्टेण्ड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ट्रकों को सामान्यतः मुख्य मार्गों पर ही खड़ा किया जाता है।

2.6.7 स. रेल एवं हवाई सेवा :

रेलवे स्टेशन कस्बे के दक्षिण में स्थित है। यह मीटरगेज मार्ग देवगढ़ कस्बे को मावली जंक्शन – मारवाड़ जंक्शन रेल सुविधा से जोड़ता है। निकटतम हवाई अड्डा डबोक (उदयपुर) लगभग 150 कि.मी. दूर स्थित है।

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप केवल मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, अपितु इसके विकास के पीछे एक मूर्त इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना पर इसके विकास की विभिन्न काल अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी समय के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है।

मध्यकाल में सबसे प्रमुख दृष्टिकोण सुरक्षा का था। अतः महत्वपूर्ण स्थलों और विशेषकर पहाड़ियों के ऊपर, अनेकों दुर्गों का निर्माण करवाया गया। इन किलों का अपना विशेष सामरिक महत्व था और ये सामान्यतया स्थानीय शासकों के प्रशासन के केन्द्र थे। इन किलों का अपना एक पूरा संसार होता था और इनकी स्थूल दीवारों के भीतर ही जल आपूर्ति हेतु जलाशय, महल, चौराहे और आवासीय भवन हुआ करते थे। युद्धकाल के दौरान सम्पूर्ण जनसंख्या दुर्ग के परकोटों के भीतर स्थानान्तरित कर दी जाती थी। किन्तु कालान्तर में स्वचालित वाहनों के विकास और युद्धकला के नये तरीके की खोज की वजह से सुरक्षा की आवश्यकताएं ही परिवर्तित हो गयीं। हवाई युद्धों की वजह से अब दुर्ग सुरक्षित स्थल न बने रह सके और दूसरी ओर परिवहन के द्रुत साधनों के कारण भौगोलिक दूरियों में जबरदस्त कमी हो गयी। अतः विकास का एक नया प्रतिरूप प्रारम्भ हुआ, जिसके अन्तर्गत नगर द्वारों को खुला और चौड़ा बना दिया गया। नगर अब प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र बन गये, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की लालसा से यहां अधिकाधिक लोगों का आगमन प्रारम्भ हुआ औद्योगिक, व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को

अपने आसपास के क्षेत्र (Hinter Land) की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान किया है।

देवगढ़ कस्बे की स्थापना प्रारम्भ में दुर्ग की मजबूत सुरक्षा के साये में प्रशासनिक केन्द्र के रूप में की गयी थी, अब यह आधुनिक नगर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पुराने कस्बे के बाहरी इलाकों में अनेकों विकास कार्य जैसे रेलवे स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र, बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं। परकोटे के भीतर का विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है, जिसके फलस्वरूप तीव्र गति से विकासशील अन्य नगरों की भांति यहां भी छितराये विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। अतः नगर के नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहां के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करना होना चाहिए। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करता है और निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के संबंध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में विचार करना अत्यन्त आसान हो जाता है और इस प्रकार के एक सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अंतिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसमें भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था

से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बना कर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। देवगढ़ नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियां :

यह लगभग सुनिश्चित है कि आगामी दशकों में देवगढ़ राजसमंद जिले का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य व व्यापार केन्द्र एवं ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र बना रहेगा। कस्बे के आसपास के क्षेत्र में मार्बल एवं अन्य खनिज उत्पादक इकाईयों की अधिकता इस नगर की औद्योगिक प्रगति को तीव्र गति प्रदान करेगी। तहसील मुख्यालय होने की वजह से यह नगर प्रशासन, व्यापार एवं व्यवसाय तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :

देवगढ़ कस्बे की बढ़ती जनसंख्या, कस्बे के विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं:

1. देवगढ़ कस्बे में खाली भूमि उपलब्ध है, जिस पर अतिक्रमण तथा छितराये विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। अतः इन सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. देवगढ़ कस्बा क्षेत्र के लिए एक विस्तृत संरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिये और गोलगढ़ एवं महासतिया को संरक्षित कर पास के पहाड़ी ढलानों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। नगर में स्थित राघव सागर, संग्राम सागर एवं जसवन्त सागर तालाबों को पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिये।
3. देवगढ़ अपने आसपास के क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। अतः यहां वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करते समय स्थानीय जनसंख्या के साथ-साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।
4. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में नियोजित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिये तथा नगर के समीप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये।
5. परकोटे के भीतर स्थित क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थानीय तथा क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
6. सकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और अन्यत्र संचालित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर खाद्यान्न, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिये।
7. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदंडों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिये।

8. कस्बे के लिये परिसंचरण प्रणाली की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाय कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों और गलियों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
9. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के छितराये विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक परिधि नियन्त्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिये।
10. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिये ताकि नगरवासियों को समस्त सुविधाओं का परिलाभ संतुलित रूप से मिल सके।

भावी आकार

भावी आकार

4.1 जनांकिकी :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देवगढ़ कस्बे की जनसंख्या 13,933 थी। गत दशकों में सर्वाधिक वृद्धि दर (46.84 प्रतिशत) 1971 से 1981 के दशक के मध्य रिकार्ड की गई है। 1981-91 एवं 1991-2001 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 8.59 एवं 18.42 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में देवगढ़ कस्बे का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2032 तक इस कस्बे की जनसंख्या 36,000 तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास दोनों घटकों को ध्यान में रखा गया है।

तालिका-9 में वर्ष 1991 से 2032 तक, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है :

तालिका-9

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति एवं अनुमान, देवगढ़ 1991-2032

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धिदर (प्रतिशत)
1	1991	13,933	—	—
2	2001	16,500	+ 2567	+ 18.42
3	2009*	20,200	+ 3700	+ 22.42
4	2011*	21,100	+ 900	+ 04.45
5	2021*	27,000	+ 6000	+ 28.57
6	2031*	35,000	+ 8000	+ 29.62
7	2032*	36,000	+ 1000	+ 02.85

*अनुमानित

स्रोत : भारत की जनगणना एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान

कस्बे में चल रही केन्द्र प्रवर्तित लघु एवं मध्यम कस्बों की एकीकृत विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील योजनाओं के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के कारण कस्बे से हो रहे बाह्य प्रवास पर अंकुश लगेगा तथा कस्बे की जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी।

4.2 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 2001 में देवगढ़ कस्बे में कार्यरत व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 29.25 प्रतिशत था, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। क्षितिज वर्ष 2032 में नगर की व्यावसायिक संरचना भविष्य की आर्थिक संभावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलित की गई है। अतः क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात 32.00 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। सन् 2009 में 6060

कामगारों की तुलना में सन् 2032 में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 11,520 होने के अनुमान है। इस प्रकार योजना अवधि में लगभग 5460 कार्यरत व्यक्तियों की वृद्धि होगी। अन्य सेवाओं एवं उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और व्यवसाय इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त देवगढ़ कस्बा एक प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर बने रहेंगे। वर्ष 2032 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का प्रतिशत तालिका-10 में दर्शाया गया है :-

तालिका-10

व्यावसायिक संरचना, देवगढ़ 2001-2032

क्र. सं.	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2001		वर्ष 2009*		वर्ष 2032 *	
		कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियायें	1062	22.00	1212	20.00	1728	15.00
2	उद्योग	772	16.00	970	16.00	1958	17.00
3	निर्माण कार्य	290	6.00	364	6.00	806	7.00
4	व्यापार एवं वाणिज्य	1062	22.00	1332	22.00	2650	23.00
5	परिवहन एवं संचार	386	8.00	485	8.00	1037	9.00
6	अन्य सेवायें	1255	26.00	1697	28.00	3341	29.00
7	योग	4826	100	6060	100	11520	100
	सहभागिता अनुपात		29.25		30.00		32.00

*अनुमानित

स्रोत-भारत की जनगणना एवं नगर नियोजन विभाग के अनुमान

4.3 नगरीय क्षेत्र :

देवगढ़ कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत देवगढ़ सहित सात राजस्व ग्रामों को देवगढ़ के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8, 683 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। देवगढ़ के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2032 में देवगढ़ कस्बे की जनसंख्या बढ़कर 36,000 हो जाने का अनुमान है, अर्थात् नियोजन अवधि में इस कस्बे में लगभग 15,800 व्यक्ति और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार देवगढ़ कस्बे में प्रति वर्ष लगभग 658 अतिरिक्त व्यक्ति जनसंख्या में जुड़ते जायेंगे जिनके रहने, कार्य करने और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करनी होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः कामलीघाट, आमेट एवं भीलवाड़ा जाने वाली सड़कों पर होगा। देवगढ़ के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की संभावित सीमाओं का निर्धारण करते वक्त वर्तमान भौतिक विशेषताओं की सीमाओं को ध्यान में रखा गया है। नगर नियोजन के वांछित मानदंडों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वृहद् कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि संभावित जनसंख्या को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु विभिन्न उपयोगों के लिए लगभग 1271 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :

सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से देवगढ़ नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इसका निर्धारण विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं

मानव निर्मित भौतिक आकृतियों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके प्रकार्यक संबंध आदि तथ्यों पर किया गया है। रोजगार, आवास, बाजार, मनोरंजन तथा अन्य सामुदायिक आवश्यकताओं की दृष्टि से इनमें से प्रत्येक योजना क्षेत्र एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में होगा। इन चार योजना क्षेत्रों को तालिका-11 में सूचीबद्ध किया गया है :-

तालिका-11
योजना क्षेत्र, देवगढ़-2032

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ	परकोटा शहर योजना क्षेत्र	96	10,000
ब	करणीमाता मंदिर योजना क्षेत्र	565	12,000
स	संग्राम सागर योजना क्षेत्र	610	14,000
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1271	36,000
द	परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र	7412	—
	कुल प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र	8,683	—

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमा को नगरीय क्षेत्र योजना मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व सीमाओं, वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा वर्ष 2032 तक प्रस्तावित विकास की सीमा को भी यह मानचित्र दर्शाता है। इस मानचित्र में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट अंकित किया गया है, जो सात राजस्व गांवों को मिला कर बनाया गया है।

अ— परकोटा शहर योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बे के परकोटे के अन्दर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, राजमहल इसी क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावानुसार इस क्षेत्र में लगभग 10,000 व्यक्ति निवास करना अनुमानित है। इस क्षेत्र में पुनर्विकास योजनायें हाथ में ली जायेंगी। नगर का कोर एरिया इसी में स्थित रहेगा। पुराना बाजार व अन्य पुराने विकसित आवासीय क्षेत्र इस योजना क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं। यह योजना क्षेत्र खुदरा व्यापार की क्रियाओं का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। यह क्षेत्र 96 एकड़ भूमि में फैला हुआ है।

ब— करणी माता योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत कामलीघाट रोड़ तथा भीलवाड़ा रोड़ के उत्तर की ओर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हॉस्पिटल, करणी माता मन्दिर, मेला प्रांगण तथा खादी ग्रामोद्योग मंडल स्थित है। नयी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हॉस्पिटल, सामुदायिक केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, सार्वजनिक सुविधाएँ तथा स्वच्छ वातावरण के लिए नये क्षेत्र विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना क्षेत्र प्रस्तावित कामलीघाट—भीलवाड़ा रोड़ के उत्तर में प्रस्तावित क्षेत्र एवं भीलवाड़ा सड़क तक के समस्त भाग को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक उपयोग की गतिविधियों को विशेष महत्व दिया गया है। कस्बे का प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र इसी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। परकोटे के अन्दर भूमि उपलब्धता के अभाव में शैक्षणिक सुविधाएँ अधिकतर इसी क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है। योजना अवधि तक यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं नगर स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 565 एकड़ है, जिसमें लगभग 12,000 जनसंख्या योजना अवधि तक समाहित की जा सकेगी।

स— संग्राम सागर योजना क्षेत्र :

इस क्षेत्र में वर्तमान में कामलीघाट रोड़ के दक्षिण का भाग एवं रेलवे लाईन के सहारे-सहारे होकर आमेट सड़क के दोनों ओर तथा राघव सागर को सम्मिलित करते हुए, भीलवाड़ा सड़क के दक्षिणी भाग तक का समस्त भू-भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बस स्टेण्ड, भण्डारण एवं गोदाम, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, जन उपयोगी सुविधाएँ, नगर स्तर का उद्यान आदि प्रस्तावित है। इस क्षेत्र का मुख्य कार्यस्थल कामलीघाट रोड़ पर कृषि उपज मण्डी एवं आमेट रोड़ पर विकासशील औद्योगिक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में स्थित राघव सागर का पूर्ण विकास करने का प्रस्ताव है। देवगढ़ कस्बे में लगने वाले पशु मेले के लिए राघव सागर के पास की भूमि पर मेला स्थल का प्रावधान किया गया है, जहां पर्याप्त भूमि एवं जल सुविधा उपलब्ध है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 610 एकड़ है एवं इस क्षेत्र में अनुमानतः 14,000 जनसंख्या क्षितिज वर्ष तक समाहित हो सकेगी।

द— परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र :

उपरोक्त तीनों योजना क्षेत्रों के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाईवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग तथा

दुग्धशाला, फलोद्यान, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट एवं चूना- भट्टा, चमड़ा उद्योग, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम महत्व रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7,412 एकड़ है।

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं तथा संभावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहां तक संभव हो समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि सम्मत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये किया जाना चाहिए। देवगढ़ नगरीय क्षेत्र की भू-उपयोग योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि नगरीय समस्याओं का समाधान हो सके। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय भू उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना 2032 में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गई है। वर्ष 2032 के भू-उपयोग प्रतिरूप को तालिका संख्या 12 में दर्शाया गया है :-

तालिका-12
प्रस्तावित भू-उपयोग, देवगढ़-2032

क्र. सं.	भू- उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	527.00	44.66	41.46
2	वाणिज्यिक	54.00	4.58	4.25
3	औद्योगिक	60.00	5.08	4.72
4	राजकीय	15.00	1.27	1.18
5	आमोद-प्रमोद	134.00	11.36	10.54
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	131.00	11.10	10.31
7	परिसंचरण	259.00	21.95	20.38
	कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र	1180.00	100.00	92.84
8	जलाशय, नदी, नाले	91.00	—	7.16
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	1271.00	—	100.00

5.1 आवासीय :

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जिनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में, मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक मौहल्ले में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता

बनी रहती है। कुछ मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को, योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार की चार से पांच योजना इकाईयां मिलकर, एक आवासीय योजना क्षेत्र का स्वरूप ग्रहण करेगी। ऐसे प्रत्येक योजना क्षेत्र को एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जावेगा। इस प्रकार देवगढ़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 36,000 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जायेगा। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का कार्यान्वयन मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनायें बना कर किया जायेगा। आवासीय उपयोग हेतु 527 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 44.66 प्रतिशत है।

कस्बे में प्रस्तावित विभिन्न आवासीय क्षेत्रों की विषमताओं में संतुलन बनाने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है यथा 50 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम, 50-100 और 100 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़। भू-उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के पास कार्य केन्द्र प्रस्तावित है। चारदिवारी के भीतर की आबादी का औसत 150 व्यक्ति प्रति एकड़ का उच्चतम जन घनत्व बना रहेगा। 50 से कम व्यक्ति प्रति एकड़ का न्यूनतम जन घनत्व चारदिवारी के बाहरी क्षेत्र, जो कि विकसित क्षेत्र के पास है, के लिए प्रस्तावित किया गया है। सामान्यतया नये आवासीय क्षेत्रों को लगभग 80 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत जन घनत्व के आधार पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। क्षितिज वर्ष 2032 तक प्रस्तावित 36,000 जन संख्या के लिए भू-उपयोग योजना में 510 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए कामलीघाट रोड के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। इसके पास ही थोक व्यापार, भण्डारण, महाविद्यालय, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है। इसी

प्रकार भीलवाड़ा रोड के दक्षिण की ओर भी आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है, जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक, व्यावसायिक, शिक्षा, राजकीय कार्यालय, सार्वजनिक सुविधाओं एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास के स्थान रहेंगे। आमेट रोड के पास औद्योगिक क्षेत्र तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है। मेला मैदान के पास प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र चिकित्सा सुविधा एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों का आवास स्थल रहेगा।

5.2 वाणिज्यिक :

अपनी पृष्ठभूमि के लिए देवगढ़ वाणिज्यिक और व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2032 तक कस्बे के विभिन्न व्यापार एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लगभग 2650 व्यक्ति या कुल कार्यरत व्यक्तियों का 23 प्रतिशत नियोजित होने लगेगा। अतः इन सुविधाओं को ऐसे युक्तिसंगत ढांचे में बांटा जाना वांछित है जिससे आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक यातायात अनुवृत्ति को न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक पदानुक्रमी क्रम में व्यावसायिक क्रियाओं को बांटने के प्रस्ताव तालिका-13 में दर्शाया गया है :-

तालिका-13

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का वितरण, देवगढ़-2032

क्र.सं.	विवरण		प्रस्तावित भूमि (एकड़ में)
1	शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	—	9.35
2	वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) अ. भीलवाड़ा रोड़ पर प्रस्तावित विद्यालय के उत्तर में ब. भीलवाड़ा रोड़ पर विद्यमान बस स्टेण्ड के सामने स. मारू दरवाजे के सामने द. आमेट रोड़ पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के सामने य. कामलीघाट चौराहा रोड़ पर संग्राम सागर के पश्चिम में	5.50 एकड़ 4.35 एकड़ 4.65 एकड़ 6.00 एकड़ 1.70 एकड़	22.20
3	विशिष्ट एवं थोक बाजार (प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के सामने)	—	12.95
4	गोदाम एवं भण्डारण (प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के सामने)	—	9.50
	कुल योग	—	54.00

इस प्रकार वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 54.00 एकड़ होगा, जो कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 4.58 प्रतिशत होगा। सामुदायिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डार आदि की स्थिति भूमि उपयोग योजना में दर्शायी गई है। सेक्टर प्लान तथा विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय स्थानीय उपयोग की दुकानों के लिए सुविधाजनक स्थल आरक्षित किये जायेंगे।

5.2.1 शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां :

देवगढ़ कस्बे की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियाँ परकोटे के अन्दर ही होती है। यह नगर का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। अत्यधिक जन घनत्व एवं सघन बसावट, संकुचित एवं संकड़े मार्गों के कारण इस क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के विस्तार की संभावना काफी कम है। पर्याप्त मात्रा में पार्किंग सुविधा हेतु खाली स्थल यहां पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु कस्बे का महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र होने के कारण यह शहरी केन्द्र के रूप में यथावत वाणिज्यिक क्रिया-कलापों का केन्द्र बना रहेगा। इसके अतिरिक्त कस्बे में बस स्टेण्ड से मारू दरवाजे को जाने वाली सड़क के साथ-साथ पश्चिम दिशा की तरफ एक पट्टी के रूप में फुटकर व्यापार के प्रस्ताव रखे गये हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में फुटकर दुकानें एवं पत्थर के गोदाम कार्यरत हैं। इस प्रकार इसके अन्तर्गत 9.35 एकड़ भूमि वाणिज्यिक उपयोग में ली जानी प्रस्तावित है।

5.2.2 वाणिज्यिक केन्द्र :

वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकेन्द्रीकरण करने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 22.20 एकड़ क्षेत्रफल में पांच वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं ये वाणिज्यिक केन्द्र कामलीघाट रोड पर संग्राम सागर के पश्चिम में, मारू दरवाजे के सामने, आमेट रोड पर, भीलवाड़ा रोड पर विद्यमान बस स्टेण्ड के सामने तथा प्रस्तावित विद्यालय के उत्तर में प्रस्तावित किये गये हैं जो नगर के नये और पुराने हिस्सों की जनसंख्या को अपनी सेवाएं देंगे। वाणिज्यिक केन्द्र के अन्तर्गत खुदरा दुकानों, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, पेट्रोल पंप आदि की सुविधाएं दी जायेगी। इन वाणिज्यिक केन्द्रों की स्थापना से पुराने शहर पर निर्भरता में काफी कमी आयेगी।

5.2.3 विशिष्ट एवं थोक बाजार :

कृषि उत्पादों, फल-सब्जियों एवं भवन निर्माण सामग्री आदि के लिए थोक व्यापार बाजारों की स्थापना हेतु भूमि की संभावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से

वर्तमान कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण के साथ ही थोक व्यापार बाजार हेतु 12.95 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जहां पर सब्जी एवं फल मार्केट भी होगा।

5.2.4 भण्डारण एवं गोदाम :

कस्बे के वर्तमान औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्यकलापों तथा भावी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गोदाम एवं भण्डारण सुविधा के लिए भूमि उपयोग योजना में कामलीघाट रोड पर दक्षिण दिशा में 9.50 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.3 औद्योगिक :

वर्तमान में देवगढ़ कस्बे में वृहत एवं मध्यम श्रेणी की कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। देवगढ़ कस्बे में लघु एवं गृह उद्योग ही कार्यरत है। इनमें मुख्यतया स्टोन कटिंग एवं पोलिशिंग इकाई, सीमेंट पाईप व एसबेस्टोस एवं सोप स्टोन पाउडर फैक्ट्री है। गृह उद्योगों में जूते बनाना, कपड़े सिलना, ऑटो रिपेयर, एवं आटा चक्की आदि गृह उद्योग चल रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग मंडल में दरी, निवार, कम्बल, लोहे के ट्रंक आदि निर्मित किये जाते हैं। अधिकांश औद्योगिक इकाईयां कस्बे में छितराये रूप में स्थापित है।

औद्योगिक इकाईयां सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं तथा संरचना के अनुकूल लाभ तब ही प्राप्त कर सकती हैं, जब वे नियोजित क्षेत्रों में कार्यरत हों। आबादी क्षेत्रों के पास एवं अन्य अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में आमेट सड़क पर रेलवे लाईन के समीप 20 एकड़ का क्षेत्र औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया था, परन्तु मौके पर 2.50 एकड़ क्षेत्र पर ही विकास हो पाया है। अतः शेष बची 17.50 एकड़ भूमि को औद्योगिक के उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया है। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 30 एकड़ भूमि भीलवाड़ा रोड पर तथा 2.50 एकड़ कामलीघाट चौराहा रोड पर विद्यमान औद्योगिक इकाई के पीछे प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार कुल 50 एकड़ भूमि लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्तावित की गयी हैं।

कामलीघाट चौराहे पर कुछ औद्योगिक इकाईयां विकसित हुई हैं। चौराहे के समग्र एवं एकीकृत विकास के लिए अलग से योजना बनायी जायेगी।

चमड़े के जूते बनाने, चूड़ियां, कपड़े सिलने जैसे घरेलू उद्योगों को आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इन उद्योगों की अनुमति इनकी प्रकृति एवं निष्पादन मानक के आधार पर दी जायेगी ताकि ये किसी प्रकार की बाधा, यातायात तथा अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या उत्पन्न न करें।

5.4 राजकीय :

5.4.1 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय :

यह मानते हुए कि भविष्य में देवगढ़ कस्बा प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा अतः सन् 2032 तक अन्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत 29 तक हो जाने की संभावना है। अतः भू-उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थलों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में संचालित हैं। नये राजकीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भीलवाड़ा रोड के दक्षिण में 11 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

5.5 आमोद-प्रमोद :

5.5.1 उद्यान, खुले स्थान एवं खेल के मैदान :

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थान कस्बे के पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परन्तु वर्तमान में देवगढ़ में एक भी नगर स्तर का उद्यान नहीं है। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थानों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। स्थानीय स्तर

एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना का प्रावधान मास्टर प्लान में किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से तालाबों एवं नदी-नालों के आस-पास के क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ-साथ खुले स्थलों का उपयोग नगरवासियों के लिए समुचित रूप से हो सके। विस्तृत योजना तैयार करते समय अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान किया जायगा। राघव सागर तालाब के संरक्षण के दृष्टिकोण से राघव सागर के पश्चिम में स्थित विद्यमान उद्यान को सम्मिलित करते हुए राघव सागर के पश्चिम, उत्तर व पूर्व दिशा में 58 एकड़ भू-भाग को खुला रखे जाने का प्रावधान किया गया है, इस क्षेत्र के विकास की विस्तृत कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति की जावेगी।

नगर स्तर के उद्यान हेतु 2.87 एकड़ भूमि के प्रस्ताव भीलवाड़ा रोड़ पर प्रस्तावित हॉस्पिटल के उत्तर में तथा 3.92 एकड़ के प्रस्ताव मारू दरवाजे के सामने प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र के समीप रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त शहर में पार्किंग सुविधा की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मारू दरवाजे के बाहर एक एकड़ भूमि खुले स्थल के रूप में प्रस्तावित की गई है। इस स्थल को खुले रूप में रखने से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मारू दरवाजे, शहर कोट एवं बुर्ज को भी संरक्षित रखा जावेगा।

5.5.2 अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन :

उत्सव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमंच, तरणताल, पुस्तकालय एवं सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की आमोद-प्रमोद के साथ शिक्षा व खेलकूद में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं एवं भावी विकास की संभावनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुये इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर योजना बनाते समय स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे

5.5.3 मेला सुविधाएं :

कस्बे के उत्तर में स्थित मेला मैदान को यथावत रखा गया है जिसमें प्रतिवर्ष होने वाले दशहरा मेले के आयोजन हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध है। परन्तु इसी मैदान पर वृहद स्तर पर वार्षिक पशु मेला भी आयोजित होने से यह स्थान भावी आवश्यकताओं हेतु अपर्याप्त है तथा यह स्थल प्रस्तावित भू-उपयोग योजना के मध्य स्थित होने के कारण पशु मेले के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। अतः राघव सागर के दक्षिण में आमेट मार्ग पर 33 एकड़ भूमि को वार्षिक पशु मेला स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक :

कस्बे का एकीकृत विकास करने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, मनोरंजन, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस भू-उपयोग हेतु 131 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो कुल प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र का 11.10 प्रतिशत है।

5.6.1 शैक्षणिक :

विद्या अर्जन के लिए देवगढ़ कस्बा तहसील का एक प्रमुख केन्द्र है। प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 9.80 एकड़ भूमि भीलवाड़ा रोड पर राघव सागर के पूर्व में प्रस्तावित की गई है। महाविद्यालय हेतु लगभग 12 एकड़ भूमि कामलीघाट रोड पर खारी नदी के पूर्व में प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त 2 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा रोड पर सुभाष नगर योजना में तथा संग्राम सागर तालाब के पश्चिम में प्रस्तावित किये गये हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 3.97 एवं 3.75 एकड़ है।

प्रस्तावित जनसंख्या के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या आंकलित की गई है, साथ ही पुरानी आबादी क्षेत्र में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2032 की प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका सं. 14 में दर्शाया गया है :-

तालिका-14
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, देवगढ़-2032

क्र. सं.	स्कूल का स्तर/कक्षा	आयु वर्ग	आयु वर्ग में विद्यालय जाने योग्य छात्र/छात्राओं की संख्या	स्कूल वर्ग की संख्या का संभावित नामांकन (प्रतिशत में)	छात्र सं.	अतिरिक्त विद्यालयों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-10	5400	95.00	5130	7
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	11-13	4320	85.00	3672	2
3	माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (9-12)	14-17	3600	85.00	3060	2
	योग		13320		11862	11

स्रोत-नगर नियोजन विभाग के अनुमान

5.6.2 चिकित्सा :

इस कस्बे में चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में एक रेफरल चिकित्सालय करणीमाता मन्दिर के उत्तर में कार्यरत है। इसमें 50 शैयाओं की सुविधा है। वर्तमान रेफरल चिकित्सालय का क्षेत्रफल 6 एकड़ है, इसके विस्तार हेतु 2.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि

प्रस्तावित की गयी है। नगर की प्रस्तावित जनसंख्या व कस्बे के आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं के मद्देनजर नवीन अस्पताल की स्थापना हेतु भीलवाड़ा रोड के दक्षिण में 7.50 एकड़ भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। साथ ही पशु चिकित्सालय के लिए इस योजना में 8.50 एकड़ भूमि प्रस्तावित तकनीकी महाविद्यालय एवं बाईपास के मध्य प्रस्तावित की गई है।

5.6.3 सामाजिक / सांस्कृतिक सुविधाएँ :

वर्तमान में दशहरा मैदान, ब्रह्मचारी आश्रम एवं मेला मैदान सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मुख्य स्थल है। मास्टर प्लान में सामाजिक व सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु उचित स्थलों को यथावत रखा गया है। विद्यमान रेफरल चिकित्सालय के उत्तर में संस्था की 18.50 एकड़ भूमि पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं। इन स्थलों में आम जनता के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमंच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

5.6.4 धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल :

कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में मुख्य स्थान गोकुलगढ़, शहरकोट, दरवाजे एवं पूर्व दिशा में स्थित महासतिया जिसमें छतरियां बनी हुई हैं, जिनको सुरक्षित रखने हेतु पुरातत्व विभाग द्वारा उचित संरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों के संरक्षण की योजना भी देवस्थान विभाग द्वारा बनाई जानी प्रस्तावित है, जिससे मंदिरों को संरक्षित किया जा सके। राधव सागर के पूर्व में स्थित महासतिया व उसके सामने पहाड़ी पर स्थित गोलगढ़ पहाड़ी ढलानों को पर्यावरण व प्राकृतिक धरोहर संरक्षण हेतु विशेष तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव है।

5.6.5 अन्य सामुदायिक सुविधायें :

कस्बे में पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन केन्द्र आदि सुविधाओं लिए समुचित भूमि का प्रावधान रखा गया है। अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु

कामलीघाट चौराहे को जाने वाली सड़क के उत्तर में खारी नदी के पूर्व दिशा की तरफ 6.15 एकड़ भूमि, मारू दरवाजे के सामने प्रस्तावित स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र के उत्तर-पश्चिम में 2.20 एकड़ भूमि तथा 3.95 एकड़ भूमि भीलवाड़ा रोड़ के दक्षिण में प्रस्तावित तकनीकी महाविद्यालय के समीप एवं भीलवाड़ा रोड़ के दक्षिण में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के सामने 3.50 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार अन्य सामुदायिक सुविधाएँ हेतु योजना अवधि 2032 के लिए 15.80 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.6 जनोपयोगी सुविधाएँ :

पेय जल की आपूर्ति, जल मल निस्तारण व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ऐसी सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ता जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाय। अतः भू-उपयोग योजना में इन सुविधाओं हेतु खारी नदी के पश्चिम में 2.75 एकड़ भूमि भीलवाड़ा रोड़ के दक्षिण में प्रस्तावित अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित स्थल के पश्चिम में 3.95 एकड़ भूमि, भीलवाड़ा रोड़ पर ही प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप 1.37 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार जनोपयोगी सुविधाएँ हेतु 8.07 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.6 अ जलापूर्ति :

सभी उपलब्ध पेयजल स्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता पर उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी नितान्त आवश्यकता है। अतः अनुशांसा की गई है कि पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूब वेलों एवं जलाशयों के द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार करके पूरा किया जाय। जहां कहीं भी संभावनाएं हो वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता

है। नगर की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक है। अतः यह सुझाव है कि भू उपयोग योजना प्रस्तावों के अनुरूप जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करें।

5.6.6 ब जल—मल व्यवस्था एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :

राज्य के अधिकांश लघु कस्बों की भांति देवगढ़ कस्बे में भी उपयुक्त जल—मल निस्तारण व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में कस्बे में खुली नालियां हैं जिनमें जल—मल प्रवाह होता है। अतः जल—मल निस्तारण व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः सुझाव है कि सामान्य ढलान को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय क्षेत्र के बाहर एक जल—मल निस्तारण स्थल स्थापित किया जाय। नगर पालिका कस्बे में ठोस कचरे के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु विस्तृत प्रबन्धन योजना तैयार करें।

5.6.6 स विद्युत :

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. इस नगर को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

5.6.7 श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में स्थित कब्रिस्तानों तथा शवदाह स्थलों को अपने वर्तमान स्थलों पर ही बनाये रखने का प्रस्ताव है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में आवश्यकतानुसार श्मशान एवं कब्रिस्तान परिधि नियंत्रण पट्टी में अनुज्ञेय हैं।

5.7 परिसंचरण :

अनुमान है कि यह कस्बा अपने आसपास के क्षेत्र के लिये एक सेवा केन्द्र का काम करता रहेगा और यहां पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसे आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होती रहेगी। अतः कस्बे के लिए अपने प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिवहन की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7.1 प्रस्तावित यातायात प्रणाली :

देवगढ़ कस्बे के मध्य से दो राज्य राजमार्ग गुजर रहे हैं, राज्य राजमार्ग संख्या 56 आमेट से भीम को जोड़ता है तथा राज्य राजमार्ग संख्या 61 मारवाड़ जंक्शन से भीलवाड़ा को जोड़ता है। इन राज्य राजमार्गों के गुजरने से कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु बाईपास सड़कें प्रस्तावित की गयी हैं।

5.7.1 अ. सड़कों का मार्गाधिकार :

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर की सड़कें प्रस्तावित की गयी हैं, जिन्हे तालिका सं. 15 में दर्शाया गया है—

तालिका – 15

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, देवगढ़ – 2032

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
1	कामली घाट चौराहे से प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के पूर्वी कोने तक (विद्यमान सड़क)	200	2.00
2	प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के पूर्वी कोने से कस्बे के उत्तर से होते हुए जसवन्त सागर तक प्रस्तावित बाईपास सड़क	200	3.00

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
3	जसवन्त सागर के दक्षिण से पूर्व दिशा में भीलवाड़ा रोड़ तक (विद्यमान सड़क)	200	1.25
4	आमेट रोड़ से उत्तर पूर्व दिशा में भीलवाड़ा रोड़ तक प्रस्तावित बाईपास सड़क	200	2.25
5	भीलवाड़ा रोड़ से भीम को जाने वाली विद्यमान सड़क	200	0.20
6	प्रस्तावित ट्रक स्टेण्ड के पूर्वी कोने से संग्राम सागर के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक (विद्यमान सड़क)	120	1.40
7	संग्राम सागर के उत्तर पश्चिम में प्रस्तावित चौराहे से कस्बे के पश्चिम, उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित सूरज दरवाजे से होते हुए प्रस्तावित बाईपास सड़क तक की विद्यमान सड़क	100	2.00
8	कस्बे में स्थित 100 फीट चौड़ी सड़क से मेला मैदान के मध्य से होते हुए उत्तर दिशा में प्रस्तावित बाईपास सड़क तक की विद्यमान सड़क	100	1.00
9	संग्राम सागर के उत्तर-पश्चिमी कोने से उत्तर दिशा में प्रस्तावित बाईपास सड़क तक लिंक रोड़	80	1.50
10	बस स्टेण्ड के उत्तर पश्चिम में स्थित तिराहे से पूर्व एवं दक्षिण दिशा में रेलवे स्टेशन तक की विद्यमान सड़क	80	1.00
11	तहसील कार्यालय से आमेट रोड़ तक की विद्यमान सड़क	80	0.75
12	संग्राम सागर के उत्तर पश्चिम में प्रस्तावित चौराहा से दक्षिण दिशा में रेलवे लाईन तक प्रस्तावित सड़क	80	0.50

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (चौड़ाई फीट में)	लगभग प्रस्तावित लम्बाई कि.मी. में
13	तहसील कार्यालय से पश्चिम दिशा में संग्राम सागर के दक्षिण में होते हुए प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क तक प्रस्तावित सड़क	80	1.00
14	मेला मैदान के दक्षिण में बाईपास सड़क को जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क	80	1.00
15	शहर परकोटा की दक्षिण सीमा से आमेट रोड़ तक विद्यमान सड़क	60	0.50
16	गुजरी दरवाजे से बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	60	0.70
17	प्राईवेट बस स्टेण्ड से महासतिया होते हुए बाईपास तक विद्यमान सड़क	60	1.20
18	जसवन्त सागर से बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	60	0.50
19	सुभाषनगर योजना फेज- I के पूर्व में भीलवाड़ा रोड़ से दक्षिण दिशा में बाईपास सड़क तक विद्यमान सड़क	60	0.50
20	सुभाषनगर योजना फेज- II एवं III के मध्य प्रस्तावित सड़क	60	0.50
21	दशहरा मैदान से संग्रामपुर को जाने वाली विद्यमान सड़क	60	0.50
22	मारू दरवाजे से राजकीय विद्यालय के उत्तर पूर्व से होते हुए बाईपास तक विद्यमान सड़क	60	0.50
23	रेलवे स्टेशन रोड़ से उत्तर पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन के सहारे होते हुए कामलीघाट रोड़ तक	60	2.10

5.7.1 ब. सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :

सभी सार्वजनिक मार्ग, जिन्हें प्रमुख, उप प्रमुख और मुख्य सड़कों के रूप में भूमि उपयोग योजना में प्रस्तावित किया गया है, यथासंभव प्रस्तावित चौड़ाई के होंगे किन्तु

कुछ स्थानों पर कतिपय बाधाओं के कारण सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाना संभव नहीं हैं या सड़क चौड़ी करने में भारी निवेश करना पड़े और अच्छी इमारतों को तोड़ना पड़े तो अपेक्षाकृत निम्न मानदण्डों को भी अपनाया जा सकता है। प्रस्ताव है कि भविष्य में परिसंचरण प्लान के अनुरूप विकास किये जाय। आवश्यकतानुरूप बढ़ते यातायात के मध्येनजर यातायात योजना बना कर लागू की जावे।

5.7.1 स. चौराहों का सुधार :

कस्बे में वर्तमान मुख्य तिराहो/चौराहों का यथासम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। योजना में जिन चौराहों का विकास किया जाना है उनका विवरण तालिका 16 में दिया गया है।

तालिका – 16

प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, देवगढ़ – 2032

क्र.सं.	चौराहा
1	संग्राम सागर के उत्तर पश्चिम में बाईपास पर प्रस्तावित चौराहा
2	मेला मैदान के दक्षिण में प्रस्तावित चौराहा
3	तहसील कार्यालय के पास प्रस्तावित चौराहा

5.7.1 द. पार्किंग व्यवस्था :

व्यावसायिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था का सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिससे निरन्तर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो।

5.7.2 बस तथा ट्रक टर्मिनल :

देवगढ़ नगर में बसों के ठहरने व यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका कार्यालय के समीप केन्द्र प्रवर्तित लघु एवं मध्यम कस्बों की एकीकृत विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बस स्टेण्ड को विस्तृत रूप देकर बस स्टेण्ड कम वाणिज्यिक योजना के रूप में विकसित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 एकड़ है। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा रोड़ पर प्राईवेट बस स्टेण्ड के विकास का प्रस्ताव है।

परिवहन सुविधा के लिए कामलीघाट रोड़ पर ट्रक स्टेण्ड के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। इस ट्रक स्टेण्ड में मरम्मत की दुकानों, ऑटो-मोबाईल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएँ विस्तृत योजना बनाते समय प्रदान की जायेगी।

5.7.3 रेल सेवा :

यह नगर उदयपुर, राजसमन्द, ब्यावर, अजमेर, पाली तथा भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक नगरों से सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है तथा उदयपुर मारवाड़ जक्शन मीटर गेज रेलवे लाईन पर स्थित होकर यह रेलवे सुविधा से भी जुड़ा होने से यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से अपनी विशेष स्थिति रखता है। कस्बे के दक्षिण-पश्चिम में रेलवे स्टेशन स्थित है। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे लाईन, गोदाम एवं आवासीय कालोनी तथा कार्यालय के लिए पूर्व में ही भूमि अधिग्रहण कर रखी है। रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना काल में कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :

कस्बे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

जिसका कुल क्षेत्रफल 7412 एकड़ है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में ग्रामीण आबादी विस्तार कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि आधारित लघु उद्योग यथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे गिट्टी क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

5.9 वृक्षारोपण पट्टी :

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रमुख मार्गों/बाह्य मार्गों के सहारे सभी विकासकर्ताओं द्वारा उपरोक्त मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी।

मास्टर प्लान

का कार्यान्वयन

मास्टर प्लान का कार्यान्वयन

देवगढ़ कस्बे के मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके कार्यान्वयन से जुड़े हुए हैं, वे दिये गये प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभायें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 वर्तमान आधार :

देवगढ़ नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है जिससे कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभाव पूर्ण तरीके से विनियोजित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएँ भी कार्यरत हैं जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

खण्ड क्रिया पर आधारित विखण्डित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्त्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकार, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान

एवं स्टाफ होना आवश्यक है ताकि वह विकास एवं समन्वय संगठन में अपने कर्तव्यों का निष्पादन समय पर कर सकें। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार प्रदान किये जाये जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इसका समग्र नियन्त्रण हो इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उनके नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाए। कोई भी योजना जो जनता के हित और कल्याण हेतु बनाई जाती है, जनता की सक्रिय सहभागिता के बिना किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकती।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

देवगढ़ कस्बे के मास्टर प्लान के प्रस्तावित भू-उपयोगों को सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि एवं विकास की दिशा इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये योजना 2032 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की स्वीकृति/सहमति से जारी की गई है, तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालें, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़के, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 उपसंहार :

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के संभावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। जब इसका क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली एवं प्रभावी कदम उठाये जाये। देवगढ़ का मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है वर्तमान उपयोगों के लिये कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। मात्र सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाएँ जो आवश्यक मानी जा सकती है; का प्रावधान किया गया है। कस्बे में अच्छी सुविधाएँ विकसित करने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और देवगढ़ को आवास एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्वास्थ्य कर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय - 2

मास्टर प्लान

3- राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाँ तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत

मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

Notification No. F.4(32) LSG/A/59, dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962, Page 118.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :

RULES

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (i).

1[(1) The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust

concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.]²

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :
 - (a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the town.
 - (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-public uses etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

- 3(1) After considering the objections/suggestions and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same **4** (if constituted) to the State Government for approval.

- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day".

-
1. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(123) TP/36, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21.9.1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27.9.1979, page 339.
 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) TP/63, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj . Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.
 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj . Gaz. 4 (Ga) (i) dated 16.2.84 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(10) नविवि/3/97

जयपुर, दिनांक : 27.3.1997

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को देवगढ़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे का सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

1. देवगढ़
2. चेताआसन
3. विजयपुरा
4. चारनीया
5. कामला

राज्यपाल की ओर से

ह.

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(10) नविवि/3/97

जयपुर, दिनांक : 07 मार्च 2002

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ10(10) न.वि.वि./3/97 जयपुर दिनांक 27.3.97 को निरस्त करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को देवगढ़ के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2025 तक के लिए तैयार करने हेतु नियुक्त करती है -

क्र.सं. राजस्व ग्राम

1. देवगढ़	DEOGARH
2. चेताआसन	CHETA ASAN
3. विजयपुरा	VIJAYPURA
4. चारनीया	CHARNIA
5. कामला	KAMLA

राज्यपाल की ओर से

ह.

(एच.एस. भारद्वाज)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(10) नविवि/3/97

जयपुर, दिनांक : 26.11.2009

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ10(10) नविवि/3/97 जयपुर दिनांक 7 मार्च, 2002 में संशोधन करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को देवगढ़ नगर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2032 तक के लिए तैयार करने हेतु नियुक्त करती है -

क्र.सं. राजस्व ग्राम

- | | |
|---|--|
| 1. देवगढ़ | DEOGARH |
| 2. चेताआसन | CHETA ASAN |
| 3. विजयपुरा | VIJAYPURA |
| 4. चारनीया | CHARNIA |
| 5. दौलपुरा (दौलपुरा नाले तक का पश्चिम का भाग) | DAULPURA (UPTO WESTERN SIDE OF DAULPURA NALLAH) |
| 6. पितामपुरा (दौलपुरा नाले तक का पश्चिम का भाग) | PITAMPURA (UPTO WESTERN SIDE OF DAULPURA NALLAH) |
| 7. कामली | KAMLI |

राज्यपाल की ओर से

ह.

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- टीपीआर 1116/एमपी/देवगढ़ /


दिनांक:-29.03.2010

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962, के नियम 3 के अन्तर्गत देवगढ़ के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान- 2032 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं:-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	देवगढ़	DEOGARH
2.	चेता आसन	CHETA ASAN
3.	विजयपुरा	VIJAYPURA
4.	चारनिया	CHARNIA
5.	दौलपुरा - आंशिक (दौलपुरा नाले तक का पश्चिमी भाग)	DAULPURA - PARTLY (UPTO WESTERN SIDE OF DAULPURA NALLAH)
6.	पितामपुरा - आंशिक (दौलपुरा नाले तक का पश्चिमी भाग)	PITAMPURA - PARTLY (UP TO WESTERN SIDE OF DAULPURA NALLAH)
7.	कामली	KAMLI

देवगढ़ प्रारूप मास्टर प्लान के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है। आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, देवगढ़ अथवा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नगर पालिका, देवगढ़ के सभागार में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, देवगढ़ से क्रय किये जा सकते हैं।


(आर.पी. शर्मा)

अति० मुख्य नगर नियोजक (एमपी)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(10)नविदि/3/97

जयपुर दिनांक:

7 DEC 2010

-:अधिसूचना:-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार में निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

"क्षेत्र का नाम"

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.11.2009 के द्वारा यथा अधिसूचित "देवगढ़ नगरीय क्षेत्र" इस मास्टर प्लान, 2032 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका देवगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवगढ़।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक